संख्या–2602 (1)/26–2–2010–2616/09–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं 2
6. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या–2602 (1)/26–2–2010–2616/09–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं 2
6. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या–2602 / 26–2–2010–2616 / 09

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण (भाग–2 लखनऊ:दिनांक 14 सितम्बर, 2010

विषयः–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कम्प्टरीकरण हेतु मुख्यालय / मण्डल / जनपद स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था के फलस्वरूप पारिश्रमिक भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–204–05 / स0क0, सां0कम्प्यू0 / 2010–11, दिनांक 12.8.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 में "समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण" के अन्तर्गत कुल रू0 2.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसमें मानक मद संख्या–02–मजदूरी की मद में की गई बजट व्यवस्था रू0 43.45 लाख के सापेक्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कम्प्टरीकरण हेतु मुख्यालय / मण्डल / जनपद स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था के फलस्वरूप पारिश्रमिक भुगतान हेतु रू0 43,45,000 / –(रूपया तैंतालिस लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.उक्त स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का व्यय डूयेक से लिए गये कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु ही किया जायेगा। इस धनराशि को किसी अन्य योजना कार्य पर व्यय नही किया जायेगा।

2.धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 के लेखा शीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–200–अन्य कार्यक्रम–09–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण–02–मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–1561 / दस–2010, दिनांक 11 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)